## <u>भारत का विधि आयोग(एलसीआई)</u>

विधि सुधार भारत में एक अनवरत प्रक्रिया रही है। 1947 में आजादी के बाद मौजूदा कानूनों में संशोधन और अद्यतन करने की सिफारिश के लिए संसद और बाहर भी केंद्रीय विधि आयोग की स्थापना की मांग की जाती रही थी। आजादी के बाद वर्ष 1955 में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया था। बाद में समय-समय पर आयोगों का गठन होता गया। 01 सितम्बर**, 2015** को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारत के 21वें विधि आयोग का गठन किया गया था। 21वें विधि आयोग की अवधि 31 अगस्त**, 2018** को समाप्त हो गयी थी। आम तौर पर प्रत्येक आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है। विधि आयोग का देश में प्रगामी विकास और कानूनों को कोडबद्ध करने के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

2. विधिक सुधार के कार्य को जारी रखने के लिए 22वें भारत का विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए 21 फरवरी**, 2020** को किया गया था। भारत के 22वें विधि आयोग में निम्नलिखित पद हैं :-

(i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;

(ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग,*पदेन सदस्य के रूप में*

(iv) सचिव, विधायी विभाग,*पदेन सदस्य के रूप में*

(v) पांच से अनधिक अंशकालिक सदस्य

3. 22वें विधि आयोग में निम्नलिखित विचारार्थ विषय शामिल हैं-

क. अप्रचलित विधियों का पुनर्विलोकन/निरसन:

(i) ऐसी विधियों की पहचान करना जो अब आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह गयी हैं और जिन्हें तत्काल निरसित किया जा सकता है।

(ii) ऐसी विधियों की पहचान करना जो आर्थिक उदारीकरण के विद्यमान परिवेश के सामंजस्य में नहीं हैं और जिनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

(iii) ऐसी विधियों की पहचान करना जिनमें परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और उनके संशोधन के लिए सुझाव देना।

(iv) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विशेषज्ञ समूहों द्वारा दिए गये पुनरीक्षण/ संशोधन

के सुझावों पर, उनके समन्वयन और सामंजस्यकरण की दृष्टि से व्यापक परिप्रेक्ष्य में विचार करना।

(v) एक से अधिक मंत्रालयों/विभागों के कार्यकरण पर प्रभाव डालने वाले विधान की बाबत मंत्रालयों/विभागों द्वारा विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से किये गये निर्देशों पर विचार करना।

(vi) विधि के क्षेत्र में नागरिकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

ख. विधि और निर्धनता :

(i) ऐसी विधियों की जांच करना जो निर्धनों पर प्रभाव डालती हैं और सामाजिक - आर्थिक विधानों के लिए पश्च-संपरीक्षा करना।

(ii) ऐसे सभी उपाय करना जो निर्धनों की सेवा में विधि और विधिक प्रक्रिया को उपयोग में लाने के लिए आवश्यक हों।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रशासन की पद्धति का पुनर्विलोकन करते रहना कि वह समय की उचित मांगों के लिए प्रभावी बनी रहे और विशेष रूप से, निम्नलिखित को सुनिश्चित करना :--

(i) विलंब को दूर करना, बकाया मामलों का शीघ्र निपटान करना और खर्च में कमी करना ताकि इस आधारभूत सिद्धांत कि विनिश्चय न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होने चाहिए पर प्रभाव डाले बिना, मामलों का शीघ्र और मितव्ययी निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) विलंबकारी युक्तियों और तकनीकी जटिलताओं को दूर करने या कम करने के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण करना, जिससे वह स्वयं में साध्य बनकर न रह जाए बल्कि न्याय की प्राप्ति में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो।

(iii) न्याय प्रशासन से संबद्ध सभी मानदंडों में सुधार।

घ. विद्यमान विधियों की राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आलोक में परीक्षा करना और उनमें सुधार तथा उन्नति के तरीकों का सुझाव देना और ऐसे विधानों का सुझाव भी देना जो निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए और संविधान की उद्देशिका में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

ङ लैंगिक समानता के संवर्धन की दृष्टि से विद्यमान विधियों की परीक्षा करना और उनमें संशोधनों के लिए सुझाव देना।

च. सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विसंगतियों, संदिग्धताओं तथा असमानताओं को दूर किया जा सके।

छ. अप्रचलित विधियों और ऐसी अधिनियमितियों या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता नहीं रह गयी है, निरसित करके कानून को अद्यतन करने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

ज. विधि और न्याय प्रशासन से संबंधित ऐसे किसी भी विषय पर, जो विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से सरकार द्वारा उसे निर्देशित किया जाए, विचार करना और अपने अभिमत से सरकार को अवगत कराना।

झ. अनुसंधान प्रदान करने के लिए विदेशों से प्राप्त अनुरोधों पर, जो उसे सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) के माध्यम से भजे गये हों, पर विचार करना।

ञ. खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना।

*****